निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

नि0न0 36/अपील/21

तारीख दायरा: 26.10.2021

सरकार

बनाम

रामेश्वर आ0 उदा नि0 नाथूखेड़ी पोस्ट कोहाडिया जिला शाजापुर हाल जिला आगर(म0प्र0)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,प्रथम सूचना कमांक 120/21 थाना घाटोली, जुर्म दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 क्लाज– 13

प्रा0पत्र बाबत लोडिंग वाहन पिकअप 407 रजिस्ट्रेशन नम्बर एम0पी013 जी0ए0 2490 को दौराने कार्यवाही अन्तरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 451 सी.आर.पी.सी

उपस्थितः– श्री बृजमोहन सोनी अभिभाषक प्रार्थी
सहायक निदेशक अभियोजन

–: निर्णय :–

दिनांकः 07.12.2021

यह प्रा0पत्र प्रार्थी रामेश्वर पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी नाथूखेडी पोस्ट कोहाडिया जिला आगर मध्य प्रदेश द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 25.06.2021 को कृषि अधिकारी फसल एंव बीज निरीक्षक झालावाड़ द्वारा प्रार्थी के वाहन पिकअप 407 नम्बर एम.पी. 13 जीए 2490 को सोयाबिन सहित जब्त कर थाना घाटोली में मुकदमा न0 120/2021 दर्ज कराया गया है। प्रकरण में प्रार्थी को भी गिरफ्तार किया गया था जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ से प्रार्थी की जमानत हुई है। प्रार्थी सुपुदर्गीदार उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त वाहन प्रार्थी का रोजगार का जरिया है। प्रार्थी का उक्त जब्त सोयाबिन से कोई सम्बन्ध नही है,किसानों ने नलखेड़ा से गिरीराज पाटीदार किसान से सोयाबिन की खरीद की थी तथा प्रार्थी के वाहन से लोडिंग करवाकर उनके गांव ले जा रहे थे। प्रकरण में जप्त वाहन को अन्तरिम सुपुर्दगी में दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर हरचन्दा राम मीणा कृषि अधिकारी (फसल एंव बीज निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि,झालावाड़ द्वारा वाहन एम.पी. 13 जीए 2490 में किस्म सोयाबिन का बीज किस्म जेएस 9560 के 75 बेग्स व जेएस 2034 के 20 बेग्स प्रत्येक का वजन 30 किग्रा बैग्स पर अंकित उत्पादककर्ता एवं विगणन कर्ता सोना सीडस कम्पनी आजाद रोड बडवानी मध्य प्रदेश था वाहन चालक के पास बीज का बिल व बिल्टी नही मिलने पर प्राथमिकी 120/21 थाना घाटोली, जुर्म दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 क्लाज– 13 के तहत दण्डनीय अपराध होने से दर्ज की गई,न्यायालय में चालान पेश होना व वाहन की प्रकरण हाजा में अब कोई अनुसंधान हेतु आवश्यकता नही होना अंकन किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि दिनांक 25.06.2021 को कृषि अधिकारी फसल एंव बीज निरीक्षक झालावाड़ द्वारा प्रार्थी के वाहन पिकअप 407 नम्बर एम.पी. 13 जीए 2490 को सोयाबिन सहित जब्त कर थाना घाटोली में मुकदमा न0 120/2021 दर्ज कराया गया है। प्रकरण में प्रार्थी को भी गिरफ्तार किया गया था जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ से प्रार्थी की जमानत हुई है। प्रार्थी सुपुदर्गीदार उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त

वाहन प्रार्थी का रोजगार का जरिया है। प्रार्थी का उक्त जब्त सोयाबिन से कोई सम्बन्ध नही है। जप्त शुदा सोयाबिन का कोई डीलर अन्वेषण में डिटेक्ट नही हुआ है। सोयाबिन का मालिक गिर्राज पाटीदार एक कृषक है जिसने अपनी फसल को अपने गोदाम में रख रखा था वही से प्रार्थी के लोडिंग वाहन मे लोड करवाकर परिवहन के लिए ले जाया जा रहा था। कृषि अधिकारी फसल एंव बिज निरीक्षक ने बीज नियंत्रण आदेश 1983 की क्लास 13 के तहत गलत रूप से आर्डर के संभावित उल्लघन में केस दर्ज कर दिया है उक्त आदेश सोयाबिन के डीलर व उसके लाईसेंस से संम्बन्धित प्रावधान से सम्बन्धि है व उक्त आदेश के उल्लघंन पर ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज हो सकता है। वाहन थाना घाटोली में खुले में पड़ा है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी उक्त वाहन को दौराने सुपुर्दगी सही हालत में रखेगा,खुर्द–बुर्द नही करेगा व न्यायालय एवं विचारण न्यायालय वाहन को तलब करगें प्रार्थी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। अपने पक्ष के समर्थन में (i) 2015(1)Criminal law Reporter Rajasthan Page 189 Naresh V/s Rajasthan state (ii) 2008(4) RLW Page 3381 Sandeep Agrawal V/s State (iii) 2020(2) RLW Page 1080 Abhilash Upadhyay V/s State (iv) 2003 Criminal law Reporter (SC) Page 103 Sunder Bai Amba Lal Desai V/s State of Gujrat के दृष्टान्त प्रस्तुत कर वाहन को दौराने ट्रायल सुपुर्दगी में दिये जाने का अनुरोध किया गया।

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि वाहन में जब्त सोयाबिन के बिल व बिल्टी नही थे व अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था जो राजसात किया जाने योग्य है।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार हरचन्दा राम मीणा कृषि अधिकारी (फसल एंव बीज निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि,झालावाड़ द्वारा वाहन एम.पी. 13 जीए 2490 में किस्म सोयाबिन का बीज किस्म जेएस 9560 के 75 बेग्स व जेएस 2034 के 20 बेग्स प्रत्येक का वजन 30 किग्रा बैग्स पर अंकित उत्पादककर्ता एवं विपणन कर्ता सोना सीडस कम्पनी आजाद रोड बडवानी मध्य प्रदेश था वाहन चालक के पास बीज का बिल व बिल्टी नही मिलने पर प्राथमिकी 120/21 थाना घाटोली, जुर्म दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 क्लाज– 13 के तहत दण्डनीय अपराध होना दर्शित है। इसी कम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र मीनों के पत्र न0 2 में अंकन किया है कि " किसानों ने नलखेड़ा से गिरीराज पाटीदार किसान से सोयाबिन खरीद की थी व प्रार्थी के उक्त वाहन पिकअप से लोडिंग कराकर गांव ले जा रहे थे।" वहीं अपनी लिखित बहस के पेरा न0 3 में अंकन कर रहे हैं कि " सोयाबिन का मालिक गिर्राज पाटीदार एक कृषक है जिसने अपनी फसल को अपने गोदाम में रख रखा था वहीं से प्रार्थी के लोडिंग वाहन में लोड करवाकर परिवहन के लिए ले जाया जा रहा था" दोनों कथन में विरोधाभास है अगर किसानों ने नलखेडा से गिरीराज पाटीदार किसान से सोयाबिन खरीद किया था तो उसका बिल व परिवहन हेतु बिल्टी की आवश्यकता से इन्कार नही किया जा सकता। राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला,कोटा द्वारा उक्त बीज नमूंनो को मानक घोषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा बिना बिल/बिल्टी के सोयाबिन का अवैध रूप से परिवहन किया जाना साबित है। प्राथमिकी 120/21 थाना घाटोली, जुर्म दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 क्लाज– 13 के तहत दण्डनीय अपराध होने से दर्ज की गई है । अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त (i) व (iv) इस प्रकरण पर कि वाहन के बेकार अवस्था में पडे रहने से खराब होने की संभावना से वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाने आदेश दिये गये हैं जो मान्य है (ii) इस प्रकरण पर लागू नही होते क्यों कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जप्त वाहन को अधिगृहण इस कारण नही किया जाना कि उसका माल परिवहन करने का पहला अवसर था को अभिभाषक प्रार्थी सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं (iii) इस प्रकरण में लागू होते हैं। चूंकि प्रार्थी का मानक सोयाबिन बिज को बिना किसी बिल व बिल्टी के अवैध रूप से परिवहन किया जाना साबित है जो जुर्म दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 क्लाज– 13 के तहत

जिला कलक्टर
झालावाड़

बिना किसी बिल व बिल्टी के अवैध रूप से परिवहन किया जाना साबित है जो जुर्म दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 क्लाज– 13 के तहत दण्डनीय अपराध है। किन्तु वाहन के पुलिस थाना में पडा रहने से खराब होने की संभावना के दृष्टिगत डब्ल्यू0एल0सी0(एस0सी0) क्रिमिनल पेज–163 कैलाश प्रसाद यादव व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के प्रकाश में प्रकरण में प्रयुक्त वाहन पीकअप 407 एम.पी. 13 जी.ए. 2490 बाबत निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना घाटोली के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे । राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना घाटोली को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। उक्तानुसार प्राप्त राशि का अन्तिम निस्तारण थाना घाटोली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 120 के परिणाम स्वरूप माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप होगा।

निर्णय आज दिनांकः 07.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़